

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/
दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों को निर्देशानुसार प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर कार्य व्यवस्था के तहत 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिये लगाया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक एवं पद	मुल पदस्थापन स्थान	कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन
1	सरोज देवी, म.स्वा.कार्यकर्ता	प्रा.स्वा.केन्द्र, ढोडसर, खण्ड गोविन्दगढ, जयपुर	प्रा.स्वा.केन्द्र, रूण्डल, तह.आमेर, जयपुर रिक्त पद पर
2	अशोक कुमार चौधरी, फार्मासिस्ट	प्रा.स्वा.केन्द्र, धानसा, जालोर	जिला चिकित्सालय, जालोर रिक्त पद पर
3	राकेश जोरवाल, नर्स श्रेणी द्वितीय	सा.स्वा.केन्द्र, बामनवास, सवाई माधोपुर	जे.के.लोन चिकित्सालय, जयपुर रिक्त पद पर
4	धमन्द्र कुमार मीना, नर्स श्रेणी द्वितीय	जिला चिकित्सालय, जैसलमेर	जे.के.लोन चिकित्सालय, जयपुर रिक्त पद पर
5	वद्रीनारायण मोयल, लेब टेक्नीशियन	प्रा.स्वा.केन्द्र, देवल खास, डूंगरपुर	मु.चि.एवं स्वा.अधि., बीकानेर के अधीन रिक्त पद पर

1 (एक) वर्ष की अवधि उपरान्त उक्त आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे। कार्मिक को उक्त कार्य व्यवस्था अवधि हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों के संबंध में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। जिन कार्मिकों को कार्य व्यवस्था के तहत रिक्त पद पर लगाया गया है, वहां पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी निदेशालय को अविलम्ब अवगत करावें।

(सु)

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/1140

दिनांक : 9/8/17

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभाग।
6. अधीक्षक, जे.के.लोन चिकित्सालय, जयपुर।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
9. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(सु)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर